

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग  
क्रमांक प.11(17)वित्त/आब/2003 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2018

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को वर्ष 2019-20 में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-


क. सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री कुलदीप बक्षी पुत्र श्री भुपाल सिंह	आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	15.07.1959	31.07.2019
2.	श्री ओमप्रकाश पंवार पुत्र श्री रामजीलाल मोची	जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान)	20.01.1960	31.01.2020
3.	श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री अल्ला बक्स खां	जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान)	10.02.1960	29.02.2020
4.	श्री त्रिलोकी पालीवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल	आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	07.04.1959	30.04.2019
5.	श्री बुद्धि प्रकाश मीणा पुत्र श्री पांचु राम मीणा	जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान)	08.07.1959	31.07.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

क्रम संख्या 3 पर अंकित अधिकारी के विरुद्ध वर्तमान में 16 सीसीए में विभागीय जांच विचाराधीन है।


आज्ञा से,

  
(ऑफ़िस मल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन। शासन सचिवालय, जयपुर-302005  
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005  
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:  
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in

**प्रतिलिपि:**

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(जी)(5)संस्था /आब/2012/1277 दिनांक 10.09.2018 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्त तिथि तक इनके विरुद्ध कोई भी जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं होना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005  
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005  
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:  
www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in